
केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)
जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone



No. CWC/CO-PD0PLCY/19/2020-pers

Dated: 23.10.2020


CIRCULAR

Sub: Restriction on cash payment exceeding Rs. 10,000/- for purchase of laptop and mobile phone – reg.

Corporation has issued the policy for purchase of laptop and mobile phones vide this office Circular No. CWC/I-Laptop/Admn and No. CWC/I-Mobile Phone/Admn dated 23.03.2015 and 17.02.2016 respectively. As per the policy, the officials of the corporation may purchase the laptop and mobile phones for official work and claim for reimbursement of the same as per their entitlement. While reimbursing the claims it is noticed that payment of laptop and mobile phone is being made by few officials in cash also which is exceeding the limit of Rs. 10,000/- as prescribed in Income Tax Act (Rule 6 (d) (d)/40(a)(3). Finance division has already issued the instructions on the matter vide circular No. CWC/FD-Taxation/Misc dated 05.05.2020.

Keeping in view of above, with the approval of Competent Authority it has been decided that “**Purchases made by cash for amount exceeding Rs. 10,000/- (ten thousand) shall not be eligible for reimbursement**”, hence it is advised to all concerned that expenditure exceeding Rs. 10,000/- (ten thousand) should be incurred by any other modes like Cheque, Demand Draft, Electronic mode (Debit Card, Credit Card, NEFT etc.).


These instructions shall be applicable with immediate effect.


Digitally signed
by Prince Kumar
Date: 2020.10.23
16:37:13 +05'30'
(Prince Kumar)
Manager (Policy)

Copy to:

1. All RMs, CWC, Regional Offices
2. All HODs, CWC, CO, New Delhi
3. PPS to MD/SAM to Dir (Fin)/Sr. PA to Dir (Pers)/PA to CVO, CWC, CO, New Delhi
4. GGM (System), MIS Division, CWC, CO, New Delhi – with a request to arrange the uploading the circular on CWC website.




केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)
जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone



सं- सीडब्ल्यूसी/नि.का./पीडीओ पालिसी/19/2020-कार्मिक

दिनांक: 23 .10.2020


परिपत्र

विषय: लैपटॉप और मोबाइल फोन की खरीद के लिए 10,000 / - रु से अधिक के नकद भुगतान पर प्रतिबंध के संबंध में.

निगम ने परिपत्र संख्या सीडब्ल्यूसी / I-लैपटॉप / एडमिन तथा सीडब्ल्यूसी / I-मोबाइल फोन / एडमिन दिनांक 23.03.2015 और 17.02.2016 के द्वारा लैपटॉप और मोबाइल फोन की खरीद हेतु नीति जारी की है। नीति के अनुसार, निगम के अधिकारी कार्यालय कार्य के लिए लैपटॉप और मोबाइल फोन खरीद सकते हैं और इसके लिए अपनी पात्रता के अनुसार प्रतिपूर्ति के लिए दावा कर सकते हैं। दावों की प्रतिपूर्ति करते समय यह देखा गया है कि कुछ अधिकारियों द्वारा लैपटॉप और मोबाइल फोन का भुगतान नकद भी किया जा रहा है, जो आयकर अधिनियम (नियम 6 (डी) (डी)/40(ए)(3) में निर्धारित 10,000 / रुपये की सीमा से अधिक है। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या सीडब्ल्यूसी / एफडी -टैक्सेशन / विविध दिनांक 05.05.2020 द्वारा इस मामले पर अनुदेश पहले ही जारी किये गए हैं।

उपरोक्त को देखते हुए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि **10,000/ - (दस हजार रुपये) से अधिक नगद राशि द्वारा की गई खरीद प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगी.** इसलिए सभी संबंधितों को यह सलाह दी जाती है कि 10,000 / - (दस हजार रुपये) से अधिक के व्यय को किसी अन्य माध्यम जैसे - चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी आदि) द्वारा भुगतान किया जाए.

ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


Digitally signed
by Prince Kumar
Date: 2020.10.23
16:38:35 +05'30'

(प्रिंस कुमार)
प्रबंधक (नीति)

प्रतिलिपि :

- 1 सभी क्षेत्रीय प्रबंधक , के भं नि , क्षेत्रीय कार्यालय
- 2 सभी विभागाध्यक्ष , के भं नि, नि.का. , नई दिल्ली
- 3 प्रबंध निदेशक के प्रधान निजी सचिव / निदेशक(वित्त) के व स प्र / निदेशक (कार्मिक) के व.नि.स. / मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सहायक, के भं नि, नि.का, नई दिल्ली
- 4 समूह महाप्रबंधक (प्रणाली), एमआईएस डिवीजन, के भं नि, नि.का. नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ की इस परिपत्र को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।

निगमित कार्यालय : 4/1, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौजबास, नई दिल्ली -110016 ।

टेलिफोन / लैंडलाइन: 011- 26515178 , ई-मेल / ईमेल: gmpers@cewacor.nic.in